राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-प.6(13)राज-6/99/11 — जयपुर, दिनांक 29-4-99

अधिसूचना

राज0भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राज अधिनियम सं0 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप धारा (1) (सपठित धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्‌द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधि॰ की धारा 135 की उप धारा (1) एवं अधिसूचना क्र.प 5(21)राज-4 80/35 दिनांक 4.9.82 यथा संशोधित के तहत नामान्तरकरण के मामलों को निर्णीत करने की ग्राम पंचायत की शक्तियों का प्रयोग शिविर स्थल पर ग्राम पंचायत का कोरम पूरा होने पर ग्राम पंचायत द्वारा तथा यदि यह कोरम पूरा न हो तो ग्राम पंचायतों के स्थान पर समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर शिविर स्थल पर ही किया जावेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 1 मई 1999 से 31.7.99 तक प्रभाव में रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से
(हस्ताक्षर)
(पी.एल. वर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महो0/राजस्व मंत्री महो0/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक में प्रकाशनार्थ।
6. "रापिरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर
9. रक्षित पत्रावली।